

**राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विश्वविद्यालय की विधि" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम अभिप्रेत है; और

(ख) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालयों की विधियों का संशोधन.- अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में, यथा उल्लिखित, विश्वविद्यालयों की विधियों में से प्रत्येक के हिन्दी पाठ में,-

(i) जहां कहीं भी विद्यमान शब्द "कुलपति" आया हो, के स्थान पर शब्द "कुलगुरु" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) जहां कहीं भी विद्यमान शब्द "प्रतिकुलपति" या "प्रति कुलपति" या "प्रति-कुलपति" आया हो, के स्थान पर, यथास्थिति, शब्द "प्रतिकुलगुरु" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

क्र.सं.	शीर्षक	अधिनियम सं.
1	2	3
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946	-
2.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962	1962 का अधिनियम सं. 17
3.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962	1962 का अधिनियम सं. 18
4.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 1987	1987 का अधिनियम सं. 35
5.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987	1987 का अधिनियम सं. 38
6.	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987	1987 का अधिनियम सं. 39
7.	जगद-गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998	1998 का अधिनियम सं. 10
8.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999	1999 का अधिनियम सं. 22
9.	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000	2000 का अधिनियम सं. 8
10.	डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2002	2002 का अधिनियम सं. 15
11.	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003	2003 का अधिनियम सं. 13
12.	कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003	2003 का अधिनियम सं. 14
13.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005	2005 का अधिनियम सं. 1
14.	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006	2006 का अधिनियम सं. 8
15.	राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010	2010 का अधिनियम सं. 13
16.	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012	2012 का अधिनियम सं. 27

17.	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012	2012 का अधिनियम सं. 28
18.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012	2012 का अधिनियम सं. 29
19.	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अधिनियम, 2012	2012 का अधिनियम सं. 31
20.	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2012	2012 का अधिनियम सं. 32
21.	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013	2013 का अधिनियम सं. 20
22.	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013	2013 का अधिनियम सं. 21
23.	कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013	2013 का अधिनियम सं. 22
24.	राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू अधिनियम, 2013	2013 का अधिनियम सं. 31
25.	विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017	2017 का अधिनियम सं. 6
26.	बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017	2017 का अधिनियम सं. 29
27.	डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019	2019 का अधिनियम सं. 6
28.	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019	2019 का अधिनियम सं. 11
29.	एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2021	2021 का अधिनियम सं. 10
30.	बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2023	2023 का अधिनियम सं. 9
31.	मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023	2023 का अधिनियम सं. 25
32.	महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2023	2023 का अधिनियम सं. 26
33.	राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर अधिनियम, 2023	2023 का अधिनियम सं. 27

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में, कुलपति मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है। प्राचीन समय से भारत में गुरु-शिष्य परम्परा के अस्तित्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने ऐसे विश्वविद्यालयों के हिंदी पाठ में कुलपति और प्रतिकुलपति का नाम "कुलपति" और "प्रतिकुलपति" से क्रमशः "कुलगुरु" और "प्रतिकुलगुरु" के रूप में परिवर्तित करने का विनिश्चय किया है।

तदनुसार, विश्वविद्यालयों की विधियों के हिंदी पाठ में जहां कहीं भी विद्यमान शब्द "कुलपति" और "प्रतिकुलपति" या "प्रति कुलपति" या "प्रति-कुलपति" आया हो, के स्थान पर, यथास्थिति, क्रमशः शब्द "कुलगुरु" और "प्रतिकुलगुरु" प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा,
प्रभारी मंत्री।

Bill No. 6 of 2025

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT)
BILL, 2025**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

*Bill**further to amend the Universities' Laws.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Universities' Laws (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "University Law" means a University Act specified in the Schedule; and

(b) "Schedule" means the Schedule to this Act.

3. Amendment of Universities' Laws.- In Hindi version of each of the Universities' Laws as mentioned in Column No. 2 of the Schedule,-

(i) for the existing word “कुलपति”, wherever occurring, the word “कुलगुरु” shall be substituted; and

(ii) for the existing word “प्रतिकुलपति” or “प्रति कुलपति” or “प्रति-कुलपति”, as the case may be, wherever occurring, the word “प्रतिकुलगुरु” shall be substituted.

SCHEDULE

(See section 3)

S.No.	Title	Act No.
1	2	3
1.	University of Rajasthan Act, 1946	-
2.	The Jai Naraian Vyas University, Jodhpur Act, 1962	Act No. 17 of 1962
3.	The Mohan Lal Sukhadia University Act, 1962	Act No. 18 of 1962
4.	The Vardhman Mahaveer Open University, Kota Act, 1987	Act No. 35 of 1987
5.	The Maharshi Dayanand Saraswati University Act, 1987	Act No. 38 of 1987
6.	The Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act, 1987	Act No. 39 of 1987
7.	The Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University Act, 1998	Act No. 10 of 1998
8.	The National Law University, Jodhpur Act, 1999	Act No. 22 of 1999
9.	Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000	Act No. 8 of 2000
10.	The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002	Act No. 15 of 2002
11.	The Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Act, 2003	Act No. 13 of 2003
12.	The University of Kota Act, 2003	Act No. 14 of 2003

13.	The Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005	Act No. 1 of 2005
14.	The Rajasthan Technical University, Kota Act, 2006	Act No. 8 of 2006
15.	The Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010	Act No. 13 of 2010
16.	The Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar Act, 2012	Act No. 27 of 2012
17.	The Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur Act, 2012	Act No. 28 of 2012
18.	The Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar Act, 2012	Act No. 29 of 2012
19.	The Govind Guru Tribal University, Banswara Act, 2012	Act No. 31 of 2012
20.	The Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur Act, 2012	Act No. 32 of 2012
21.	The Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner Act, 2013	Act No. 20 of 2013
22.	The Agriculture University, Jodhpur Act, 2013	Act No. 21 of 2013
23.	The Agriculture University, Kota Act, 2013	Act No. 22 of 2013
24.	The Rajasthan Sports University, Jhunjhunu, Act 2013	Act No. 31 of 2013
25.	The Vishvakarma Skills University, Jaipur Act, 2017	Act No. 6 of 2017
26.	The Bikaner Technical University Act, 2017	Act No. 29 of 2017
27.	The Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur Act, 2019	Act No. 6 of 2019
28.	The Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act,	Act No. 11 of 2019

	2019	
29.	The MBM University, Jodhpur Act, 2021	Act No. 10 of 2021
30.	The Baba Amte Divyang University, Jaipur Act, 2023	Act No. 9 of 2023
31.	The Marwar Medical University Act, 2023	Act No. 25 of 2023
32.	The Mahatma Gandhi Divyang University, Jodhpur Act, 2023	Act No. 26 of 2023
33.	The Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (Jobner) Jaipur Act, 2023	Act No. 27 of 2023

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Vice-chancellor is the principal executive and academic officer in the State Funded Universities of Rajasthan. Looking to the existence of Guru-Shishya Parampara in India since ancient times, the State Government has decided to change the nomenclature of Vice-chancellor and Pro-Vice-Chancellor in Hindi Version of such Universities from “कुलपति” and “प्रतिकुलपति” to “कुलगुरु” and “प्रतिकुलगुरु” respectively.

Accordingly, it is proposed to substitute the word “कुलपति” and “प्रतिकुलपति” or “प्रति कुलपति” or “प्रति-कुलपति”, as the case may be, wherever occurring in the Hindi Version of the Universities' Laws by the word “कुलगुरु” and “प्रतिकुलगुरु” respectively.

The Bill seeks to achieve the aforesaid object.

Hence the Bill.

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा,
Minister Incharge.

Bill No. 6 of 2025

**THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT)
BILL, 2025**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Universities' Laws.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Dr. Prem Chand Bairwa, Minister-Incharge)

2025 का विधेयक सं.6

राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, प्रभारी मंत्री)